

SUNDERAM BUILDHOME PVT. LTD.

BEHIND KATARIA TRANSPORT, SUBHASH COLONY, AJMER ROAD, MADANGANI, KISHANGARH
(R.A.T.) - 305801 Mob: +91-9829742765 email: srseconsksg@gmail.com

Date - 28/3/2025

श्रीमान श्रीमन्त महोदय
नगर परिषद
किशनगर

विषय - लेबर सेस, भवन अनुज्ञा शुल्क व
बेटरमेन्ट लेवी जमा करवाने हेतु

महोदय

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि हमारे द्वारा भुक्त
सरस्था 6 स्वसरा नं. 118/212 क्षेत्रफल 902.5 वर्गमीटर
गांव फरासिया आनमेर रोड किशनगर पर भवन
निर्माण स्वीकृती नगरीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत
ऐम्पेनलड आर्किटेक्ट कपिल गिस्ली (CTP RAJ/
Architect/2021/16) द्वारा ली गई है

आर्किटेक्ट श्री कपिल गिस्ली द्वारा निम्नलिखित शर्तों
नगर परिषद किशनगर मे जमा करवाने हेतु निदेश
दिया गया है-स्वयं रसीद पेश करने हेतु कहा गया है



- ① लेबर सेस - 1,00,000/-
- ② प्राथना पत्र शुल्क - 200/-
- ③ जॉन्टि शुल्क - 13,539/-
- ③ भवन अनुज्ञा आवासीय 52,048/-
शुल्क
- ④ वर्षा जल संचयन शर्त - 1,00,000/-
- ⑤ बेटरमेन्ट लेवी - 322,927/-
- Total - 11,88,714/-

[गणरहताव ईकायाही हजार सात सौ चारशुपया मात्र]

SUNDERAM BUILDHOME PVT. LTD.

B-1, HINDU KALARI TRANSPORT, SUBHASH COLONY, AJMER ROAD, MADANGANJ, KISHANGARH
Raj. 30580. Mob. -91-9829742765 email: srseconsks@gmail.com

हमारे सारा उपरोक्त शशि दिनांक 28/3/2025 को
जरिय RTGS नगर परिषद किशंगार मे UTR No
BARBH25087067706) BARBH25087067706 द्वारा जमा करा दी गई है

अतः आपसे निवेदन है कि उष्मा शशि कि एसीर
जारी करवाने कि कृपा करे

हस्ताक्षर
[Signature]

सलगन. आर्चिटेक्ट श्री कपिल मिहली का भाग पत्र



**KAPPRIS
INNOVATION**

Architecture
Interior Design
Project Management

kapprisinovation@gmail.com

kapilmistry@hotmail.com

Phone -0141-4002369

35 Shri Path Nemi Nagar Extension
Vaishali Nagar Jaipur, 302021

मांग पत्र ;

श्री

दिनांक:-27 / 03 / 2025

Sunderam Build Home (Private Ltd.)
Subhash colony ,Ajmer Road,
Madanganj Kishangarh, Rajasthan.

महोदय / महोदया,

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) विनियम , 2020 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को भवन विनियमों के नियम 19 एवं 20 के तहत पंजीकृत होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपके द्वारा दिनांक 25/02/2025 को मूखण्ड संख्या- 06, KH. NO.- 118/2/2 क्षेत्रफल 902.56 वर्गमीटर, पता:- गांव फ़रासिया, अजमेर रोड, किशनगढ़ जिला अजमेर, हेतु आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र प्रस्तुत किये हैं जिसमें कुल निर्मित क्षेत्रफल 4200.80 वर्गमीटर तथा ऊँचाई 17.40 मीटर है प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार मय निम्नलिखित शपथपत्र/अण्डरटेकिंग के साथ प्रस्तुत करें :-

1. प्रस्तावित पार्किंग / वर्षा जल संचयन/वृक्षारोपण के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अनुसार शपथपत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।
2. आप द्वारा समस्त लेबर सेस राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार जमा कराया जाना होगा।
3. लेबर सेस राशि प्रथम किश्त राशि रुपये 1,00,000/- SECRETARY, नगर परिषद किशनगढ़ में जमा करवा कर जमा रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
4. "यदि उक्त भवन/मूखण्ड के संबंध में नगरीय निकाय द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व अथवा पश्चात् भी किसी मद की अदेय राशि की मांग की जाती है तो मेरे द्वारा मांग पत्र में निर्धारित समयावधि के दौरान जमा करा दिया जावेगा और यदि मैं उक्त शपथ की अवहेलना करता हूँ/करती हूँ तो नगरीय निकाय उक्त भवन को सीज करने अथवा ध्वस्त करने हेतु स्वतंत्र होगी," उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त के अतिरिक्त कृपया आप निम्न प्रकार राशि नगर परिषद किशनगढ़ परिसर स्थित बैंक में जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें ताकि भवन मानचित्र अनुमोदन/निर्माण जारी की जा सके।



Scanned with OKEN Scanner



KAPPRI S
INNOVATION

Architecture
Interior Design
Project Management

kapprisinnovation@gmail.com

kapilmistry@hotmail.com

Phone -0141-4002369

35 Shri Path Nemi Nagar Extension
Vaishali Nagar Jaipur, 302021

1.	प्रार्थना पत्र शुल्क	रु0	200 / -
2.	जाँच शुल्क (15/-)	रु0	13,539 / -
3.	भवन अनुज्ञा शुल्क आवासीय (60/-)	रु0	2,52,048 / -
4.	वर्षा जल संचयन राशि	रु	1,00,000 / -
कुल राशि		रु0	3,65,787 / -

बेटरमेंट लेवी 1568.17 वर्गमीटर @20% / - 2,305 / - (6,49,200/-)					
उपरोक्तानुसार बेटरमेंट लेवी की राशि निम्नानुसार देय होगी-					
क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत	चैक सं.	दिनांक	राशि
1.	राशि	बेटरमेंट लेवी का 100 प्रतिशत			7,22,927 / -
कुल राशि					7,22,927 / -

नोट:-

- भवन विनियम 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जावेगी।
- भवन विनियम 2020 की अनुसूची 2 के विशिष्ट नोट के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार जिन प्रोजेक्टों का रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेंट) अधिनियम, 2016 एवं इसके तहत बनाये गये राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेंट) नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, अन्य प्रस्तावित भवनों हेतु विनियम 8.14 (क) एवं (ग) में वर्णित प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी के रूप में भवन निर्माता द्वारा स्थानीय निकाय को जमा कराने होंगे। यह राशि





KAPPRI S
INNOVATION

Architecture
Interior Design
Project Management

kapprisinnovation@gmail.com

kapilmistry@hotmail.com

Phone -0141-4002369

35 Shri Path Nemi Nagar Extension
Vaishali Nagar Jaipur, 302021

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते समय उपरोक्त प्रावधानों की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् भवन निर्माता को लौटाई जा सकेगी।


भवदीय,
Ar. Kapil Mistry
35, Nemi Nagar Extension, Shripath
Vaishali Nagar, JAIPUR-302021
CTP RAJ/Architect/2021/16
कपिल मिस्त्री
वास्तुविद

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

भवदीय,

कपिल मिस्त्री
वास्तुविद
CTP RAJ/Architect/2021/16